

# राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

क्रमांक :- 02

दिनांक:-22.04.2022

## नीलामी सूचना

आयोग कार्यालय में उपलब्ध विविध अनुपयोगी सामग्री की खुली नीलामी द्वारा दिनांक 12.05.2022 को अपरान्ह 12:00 बजे से बिक्री की जानी है। सामग्री का पुस्तक मूल्य लगभग रू. 37,72,093 एवं न्यूनतम बिक्री मूल्य(आरंभिक बोली मूल्य) रू. 2,00,000 (दो लाख) है। बोली लगाने से पूर्व रू 50,000/- की राशि नगद/ड्राफ्ट द्वारा आयोग कार्यालय में जमा करानी होगी। सामग्री का अवलोकन आयोग कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस को कार्यालय समय में किया जा सकता है। अधिकतम बोली को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सचिव महोदय का होगा। नीलामी की शर्तें आयोग कार्यालय की वेबसाइट [www.rpsc.rajasthan.gov.in](http://www.rpsc.rajasthan.gov.in) एवं [sppp.raj.nic.in](http://sppp.raj.nic.in) पर उपलब्ध है।

उप सचिव

# राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

## अनुपयोगी सामग्री के नीलामी की शर्तें

1. बोली लगाने से पूर्व बयाना (अर्नेस्ट मनी) रू. 50,000/- नगद/डी.डी. द्वारा अमानत राशि जमा कराना आवश्यक है, जिसके अभाव में बोली नहीं लगा सकेंगे।
2. नीलामी न्यूनतम बिक्री मूल्य रू. 2,00,000/- से शुरू की जायेगी।
3. बोली 500/- रू. के गुणांक में लगानी होगी।
4. सामान जैसा है, वैसी स्थिति में बोली समाप्त होने पर 2 दिवस में उठाना होगा।
5. सामान उठाने से पूर्व बोली की राशि नगद/डी.डी. द्वारा जमा करानी होगी।
6. नियमानुसार जी.एस.टी. देय राशि सफल बोली दाता द्वारा स्वयं जमा करानी होगी तथा जमा राशि के चालान की प्रति आयोग कार्यालय में पूर्ण सामग्री उठाने से पूर्व देनी होगी।
7. नीलामी की अधिकतम बोली राशि का 0.75% आयकर टी.डी.एस आयोग कार्यालय द्वारा काटा जायेगा जो कि बोली दाता वहन करेगा इस हेतु सफल बोली दाता को पेन न. दस्तावेज इस कार्यालय में नीलामी के समय जमा कराना होगा।
8. सफल बोलीदाता द्वारा राशि तुरन्त जमा नहीं कराने पर जमा राशि जब्त कर ली जायेगी।
9. समस्त सामग्री 02 दिवस में नही उठाने पर सामग्री के सम्बन्ध में आयोग की कोई जिम्मेदारी नही होगी।
10. नीलामी समाप्ति पर अधिकतम 2 बोलीदाताओं की जमा राशि रोककर शेष की राशि/डी. डी. तुरन्त लौटा दी जायेगी।
11. अधिकतम बोलीदाता की जमा बयाना राशि बिक्री मूल्य में समायोजित कर ली जायेगी एवं अधिकतम बोली की राशि जैसी भी स्थिति होगी उसके अनुसार बिक्री मूल्य में समायोजित/लौटा दी जायेगी।
12. किसी भी विवाद एवं नीलामी के सम्बन्ध में सचिव, राज. लोक सेवा आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।  
मैंने नीलामी की उक्त शर्तों को ध्यान से पढ़ लिया है एवं मैं नीलामी की शर्तों से सहमत हूँ।

हस्ताक्षर बोलीदाता

मोहर सहित

हस्ताक्षर

(उप सचिव)